न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 217/2018 (समेकित वाद सं. 01/2019 रामेदव बनाम रामदेव)

वादी

1. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति कुमावत उम्र 45 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र खेमा
2. रामदेव पुत्र रतना
3. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
4. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
5. कुन्दनमल पुत्र अमराराम
6. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
7. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. उप पंजीयक कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा 53,88,188 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 6, 7 की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 की ओर से।

राजस्व वाद संख्या 01/2019

वादी

1. रामदेव पुत्र खेमा जाति कुमावत उम्र 70 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र रतना
2. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
3. मूलचन्द पुत्र भागीरथ
4. मोतीराम पुत्र भागीरथ
5. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
6. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ [illegible] नि. हरितपुरा तहसील कुचामन
7. कुन्दनमल पुत्र अमरा[illegible] (लैण्ड होल्डर)
8. राजस्थान सरकार ज[illegible]

राजस्व वाद बंटवारा होल्डिंग व स्थाई [illegible]धाज्ञा अ.धा.53(3) व 188 R.T.Act 1955

[illegible]ी की ओर से।

उपस्थित श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1, 2, 3, 5, 6, की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से।
श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

...2...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

दिनॉक :- 30.05.2019

वादी मोतीराम द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 217/18 एवं वादी रामेदव द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 01/2019 दोनो वाद 88, 53 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत उभय पक्षकारान के निवेदन पर वाद-पत्रो को समेकित किया जाकर सुनवाई की गई। दोनो वाद पत्र बंटवारा, इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है, जिनका सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम हरितपुरा पटवार मण्डल खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 64 रकबा 1.09 हैक्टर किस्म चाही, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 67 रकबा 1.09 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 2.20 हैक्टर स्थित चली आ रही है जिसमे अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा राहिन एच.डी.एफ. सी कुचामनसिटी के रहन दर्ज होकर संयुक्त रूप से पक्षकारान के कब्जे काश्त मे दर्ज होकर स्थित है तथा राजस्व रेकार्ड में बंटवारा नही हो रखा है। उपरोक्त भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर कब्जा माना जाता है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को एलानिया धमकी दी है कि मोतीराम कि रामदेव पुत्र खेमा एवं रामदेव पुत्र रतना द्वारा बिना विधिवत बंटवारा कराये विशेष भू-भाग पर अपनी मर्जी से निर्माण कार्य करवा रहे है जो कि कानूनन अवैध है, तथा अपने हिस्से की भूमि अन्य व्यक्तियो को बेचान कर देगे तथा ताकत के बल पर भूमि के विशेष भू-भाग पर काबिज करवा देंगें साथ ही कथन किया है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की अच्छी से अच्छी भूमि व बुरी से बुरी भूमि को विभाजन द्वारा प्राप्त करने का सभी खतेदारो को कानूनी हक है। उपरोक्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर नाप-चौक कर पक्षकारान का अलग अलग हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाकर व खातेदार घोषित करवाकर नक्शे में तरमीम करवाये जाने का वाद बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ति व भू-विभाजन का न्यायालय में प्रस्तुत किया है। दोनो वाद-पत्रो में पक्षकारान की इस्तदुआ है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 में पक्षकारान खातेदारान बिना विधिवत विभाजन करवाये अपने हिस्से का बेचान, हस्तानान्तरण किसी भी रूप से किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं करे व नही जबरन कब्जा करवाये व न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें व नही ऐसा अपने एजेन्टों या प्रतिनिधियो से करवाये । डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर नाप-चौक र वादी एवं प्रतिवादगण के हिस्से अनुसार अलग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर अलग से खातेदार घोषित किये जावे तथा नक्शे में तरमीम किया जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। दोनो ही वाद–पत्रो में उनके अधिवक्ता उपस्थित आये तथा उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त भूमि को लेकर दोनो पक्षो के मध्य दो वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है, जिनको समेकित किया जाकर एक–साथ सुनवाई की जावे। उभय पक्षकारान अधिवक्तो के निवेदन पर दिनॉक 25.01.2019 को दोनो वाद–पत्रो को समेकित किया जाकर एक साथ सुनवाई की गई। शाखा प्रबन्धक, उप पंजीयक एवं तहसीलदार कुचामनसिटी बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्षकारान के अधिवक्तो की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–2075 अनुसार खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में रामदेव पुत्र खेमा रामदेव पुत्र रतना छोटी पत्नि भागीरथ मूलचन्द मोतीराम अमरचन्द ओमप्रकाश पि. भागीरथ (रामदेव पुत्र खेमा के 0.0170 हैक्टर भूमि मे कुन्दनमल पुत्र अमराराम कुमावत सा.देह) जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। 2076–2079 अनुसार ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा राहिन एच.डी.एफ.सी कुचामनसिटी सा. देह खातेदार दर्ज है। बहस इत्यादि अनुसार एवं उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न है तथा कोई भी पक्षकार एवं खातेदार बिना विधिवत भू–विभाजन कराये विशेष भू–भाग का बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नही करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से साबित है कि पक्षकारान की भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अतः दोनो वाद पत्रो में अंकित इस्तदुआ भी लगभग समान है, इसलिए वाद प्राथमिक काबिल डिक्री योग्य है। अतः वाद निम्नवत प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्राथमिक डिक्री कर घो[illegible] जाती है कि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा का, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा रामदेव पुत्र रतना का हिस्सा एच.डी.एफ.सी कुचामनसिटी के रहन रहेगा। तहसीलदार

....4....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनाँक 30/05/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 217 / 2018 (समेकित वाद सं. 01 / 2019 रामेदव बनाम रामदेव)

वादी

1. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति कुमावत उम्र 45 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र खेमा
2. रामदेव पुत्र रतना
3. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
4. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
5. कुन्दनमल पुत्र अमराराम
6. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
7. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. उप पंजीयक कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा 53,88,188 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 6, 7 की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 की ओर से।

राजस्व वाद संख्या 01 / 2019

वादी

1. रामदेव पुत्र खेमा जाति कुमावत उम्र 70 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र रतना
2. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
3. मूलचन्द पुत्र भागीरथ
4. मोतीराम पुत्र भागीरथ
5. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
6. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
7. कुन्दनमल पुत्र अमराराम जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लेण्ड होल्डर)

राजस्व वाद बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.53(3) व 188 R.T.Act 1955

उपस्थित श्री मो. हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1, 2, 3, 5, 6, की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 की ओर से।
श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री रणवीर कुमावत, श्री मो. हनीफ, श्री भवानीसिंह, श्री बिरमाराम ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद प्राथमिक डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा का, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा रामदेव पुत्र रतना का हिस्सा एच.डी.एफ.सी कुचामनसिटी के रहन रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 ......माह 05 .... सन् 2019 .... को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत.........................

(मुहर) ओहदा.........................

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत हो
30.10.19

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) कुचामन सिटी

क्रमाक/भू.अ. 1650 दिनाक 23.10.19

प्रेषित :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामन सिटी

विषय :- राजस्व वाद सं. 47/2018 मोतीराम बनाम रामदेव एवं वाद सं. 01/2019 रामदेव बनाम रामदेव वगैरह मे पारित प्राथमिक डीक्री की पालना रिपोर्ट भेजने बाबत

प्रसंग :- श्रीमान के पत्र क्रमाक/राजस्व/2018/25 दिनांक 30.5.19; 161 दिनांक 28.8.2019

महोदय
उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि राजस्व वाद सं. 47/2018 एवं 01/2019 मे पारित प्राथमिक डीक्री की पालना रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेषित है।

23.10.19
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

संलग्न :- फर्द मौका

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका

आज दिनांक 16.10.19 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./19/1115 दिनांक 2.7.19 की अनुपालना में ग्राम हरितपुरा के खसरा नं. 64, 66, 67 पर पटवारी हल्का खारिया के साथ मौके पर पहुंचा। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के राजस्व वाद सं. 217/2018 मोतीराम बनाम रामदेव एवं वाद सं. 01/2019 रामदेव बनाम रामदेव व और में पारित प्राथमिक डिक्री की बखारा स्कीम हेतु फर्द मौका मौके पर तैयार की गई।

राजस्व रेकार्ड के अनुसार ग्राम हरितपुरा के ख.नं. 64, 66, 67 कुल रकबा 2.20 है जिसमें अमीचन्द पुत्र भागीरथ 1/20 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ 1/20 कुन्दनमल पुत्र अमराराम 17/2200 छोटीदेवी पत्नी भागीरथ 1/20 मूलचन्द पुत्र भागीरथ 1/20 मोतीराम पुत्र भागीरथ 1/20 रामदेव पुत्र खेमाराम 1083/2200 रामदेव पुत्र रतना हिस्सा 1/4 जाति कुमावत दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 64, 66, 67 की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त के बारे में पूछताछ की गई निम्नानुसार कब्जा काश्त होना बताया है।

खसरा नं. 64, 66, 67 की भूमि का नजरी नक्शा

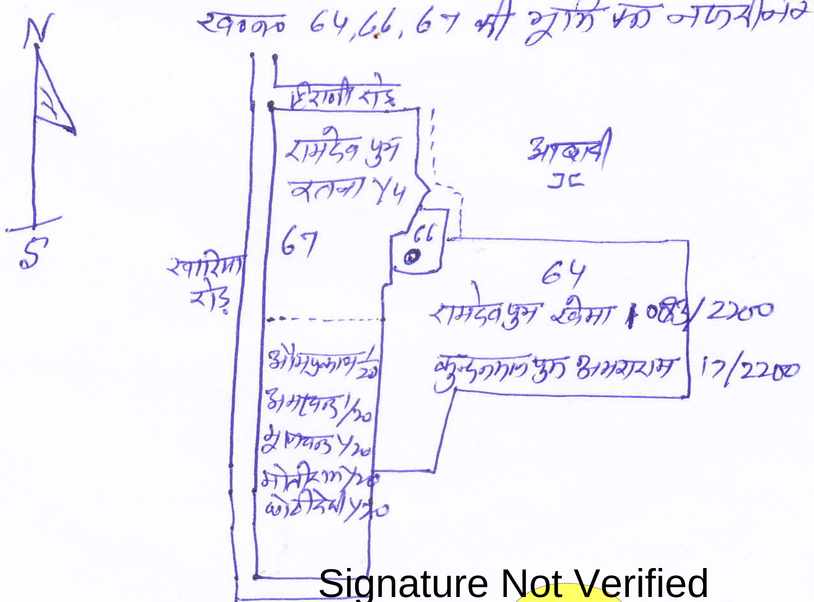

उपरोक्त नजरी नक्शा [illegible] पाया गया है खसरा नं. 66 में मु कुआ [illegible] का बताया है फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

पटवारी खारिया — भू.अ.नि.

रामदेव (रामदेव पुत्र रतना) — रामदेव (रामदेव पुत्र खेमा) — मोतीराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 217/2018 (समेकित वाद सं. 01/2019 रामेदव बनाम रामदेव)

वादी

1. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति कुमावत उम्र 45 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र खेमा
2. रामदेव पुत्र रतना
3. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
4. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
5. कुन्दनमल पुत्र अमराराम
6. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
7. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. उप पंजीयक कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा 53,88,188 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 6, 7 की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 की ओर से।

राजस्व वाद संख्या 01/2019

वादी

1. रामदेव पुत्र खेमा जाति कुमावत उम्र 70 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र रतना
2. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
3. मूलचन्द पुत्र भागीरथ
4. मोतीराम पुत्र भागीरथ
5. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
6. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
7. कुन्दनमल पुत्र अमराराम जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी [illegible] होल्डर)

राजस्व वाद बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.53(3) व 188 R.T.Act 1955

उपस्थित श्री मो. हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1, 2, 3, 5, 6, की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 की ओर से।
श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

राजस्व वाद सं.217/18 मोतीराम बनाम रामदेव वगैरह
राजस्व वाद सं. 01/19 रामेदव बनाम रामदेव वगैरह

आदेश

दिनॉकः– 29.11.2019

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 30.05.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2019/1658 दिंनाक 23.10.2019 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा का, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा रामदेव पुत्र रतना का हिस्सा एच.डी.एफ.सी कुचामनसिटी के रहन रहेगा। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 29.11.19 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 217/2018 (समेकित वाद सं. 01/2019 रामेदव बनाम रामदेव)

वादी

1. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति कुमावत उम्र 45 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र खेमा
2. रामदेव पुत्र रतना
3. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
4. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
5. कुन्दनमल पुत्र अमराराम
6. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
7. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. उप पंजीयक कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा 53,88,188 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 6, 7 की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 की ओर से।

राजस्व वाद संख्या 01/2019

वादी

1. रामदेव पुत्र खेमा जाति कुमावत उम्र 70 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामदेव पुत्र रतना
2. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
3. मूलचन्द पुत्र भागीरथ
4. मोतीराम पुत्र भागीरथ
5. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
6. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
7. कुन्दनमल पुत्र अमराराम जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लेण्ड होल्डर)

राजस्व वाद बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.53(3) व 188 R.T.Act 1955

उपस्थित श्री मो. हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1, 2, 3, 5, 6, की ओर से।
श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 की ओर से।
श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद सं.217/18 मोतीराम बनाम रामदेव वगैरह
राजस्व वाद सं. 01/19 रामेदव बनाम रामदेव वगैरह

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री रणवीर कुमावत, श्री मो. हनीफ, श्री भवानीसिंह, श्री बिरमाराम ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा का, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा रामदेव पुत्र रतना का हिस्सा एच.डी.एफ.सी कुचामनसिटी के रहन रहेगा। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.............

......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:49 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2019.12.08 11:01:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: